दिनांक 19.12.2017 को 11.00 बजे पूर्वाहन में कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में आयोजित किसान क्रेडिट कार्ड/कृषि ऋण प्रवाह की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

1. उपस्थिति : पंजी में संधारित।
2. कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार द्वारा बतलाया गया कि बिहार राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की कृषि की उप समिति को दो Sectoral Working Group(SWG) उप समिति I (कृषि से सम्बन्धित) तथा उप समिति II पशुपालन एवं मत्स्य से सम्बन्धित में विभाजीत किया गया है ताकि किसान क्रेडिट कार्ड/कृषि ऋण प्रवाह तथा कृषि एवं अन्य सम्बन्धित विभागों का बैंकों से सम्बद्ध योजनाओं में प्रगति की समीक्षा/अनुश्रवण समुचित रूप से किया जा सके। उप समिति I एवं उप समिति II के गठन से सम्बन्धित आदेश की प्रति उपस्थित पदाधिकारियों को उपलब्ध करा दी गई।
3. राज्य में सहकारिता बैंकों द्वारा वर्ष 2017–18 में दिनांक 30.09.17 तक के० सी० सी० ऋण वितरण में लक्ष्य की तुलना में उपलब्धि मात्र 1.55% होने पर चिन्ता व्यक्त की गई। उप महाप्रबंधक, बिहार राज्य सहकारी बैंक द्वारा बताया गया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर विशेष बल दिया जा रहा है। कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत फसलों की क्षति की स्थिति में कृषकों को दावे के भुगतान की प्रक्रिया तथा गत वर्ष 2016–17 में इस योजना अन्तर्गत कृषकों को भुगतान की गई क्षतिपूर्ति राशि के बारे में जानकारी ली गई। सहकारिता विभाग के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी/विभाग के स्तर पर प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग तथा विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समन्वय समिति (SLCC) की बैठक में इस योजना की समीक्षा नियमित रूप से की जाती है। कृषकों को गत वर्ष की फसल बीमा क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान में जाँच के कारण विलम्ब होने की जानकारी दी गई। कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा बीमा राशि के दावे का भुगतान शीघ्र कृषकों को करने हेतु सहकारिता विभाग के प्रतिनिधि को निदेश दिया गया।

(कार्रवाई–सहकारिता विभाग, बिहार, पटना।)

4. सहायक महाप्रबंधक, बिहार राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, संयोजक भारतीय स्टेट बैंक द्वारा बताया गया कि अग्रणी जिला बैंक प्रबंधक से प्राप्त सूचना के अनुसार जिला स्तर पर प्रत्येक दो सप्ताह पर बैंकर्स की बैठक आयोजित करना संभव नहीं है। के० सी० सी० आवेदन हेतु कागजातों की आवश्यकता (चेकलिस्ट) उपलब्ध कराया गया तथा इसे SLBC की साईट पर उपलब्ध होने की जानकारी दी गई। उन्होनें बताया कि के० सी० सी० को आधार नम्बर से जोड़ने (Link) की कार्रवाई बैंकों द्वारा की जा रही है।

(कार्रवाई–एस०एल०बी०सी०, पटना)

5. प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना द्वारा बताया गया कि के० सी० सी० ऋण के लिए कॉलेटरल सिक्यूरिटी की सीमा 1.00 (एक लाख) से बढ़ाकर दो लाख करने हेतु पूर्व में आयोजित बैठक में विचार–विमर्श किया गया था। सहायक महाप्रबंधक, एस० एल० बी० सी० द्वारा बताया गया कि Collateral Security बढ़ाने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक तथा नबार्ड के स्तर पर निर्णय लिया जाना है।

(कार्रवाई – भारतीय रिजर्व बैंक, पटना/नबार्ड, पटना)

6. प्रधान सचिव, कृषि विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में राज्य सरकार द्वारा कृषि ऋण पर 1% ब्याज अनुदान योजना अन्तर्गत उपलब्ध कराई गई राशि का व्यय विवरणी/उपयोगिता प्रमाण पत्र के बारे में जानकारी ली गई। नबार्ड के प्रतिनिधि द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से वर्ष 2016–17 का 2.67 करोड़ रूपया का दावा प्राप्त होने की जानकारी दी।

7. सहायक महाप्रबंधक, एस० एल० बी० सी० द्वारा बताया गया कि भारत सरकार द्वारा फसल बीमा की तरह कृषि ऋण के लिए Portal विकसित किया जा रहा है ताकि भारत सरकार द्वारा देय कृषि ऋण पर 3% ब्याज अनुदान की राशि एवं विभिन्न योजना अन्तर्गत कृषकों को देय अनुदान की राशि पोर्टल पर प्रविष्ट (upload) किया जा सके।
8. प्रधान सचिव, कृषि विभाग द्वारा बताया गया कि कृषि यांत्रिकरण योजना अन्तर्गत कस्टम हायरिंग सेन्टर में ऋण की स्वीकृति में परेशानी होती है। वर्मी कम्पोस्ट/बायो फर्टिलाइजर योजना में भी ऋण स्वीकृति में परेशानी है। कृषि यांत्रिकरण योजना अन्तर्गत Custom Hiring Centre में कितने आवेदन लम्बित है, इसका जिलावार/बैंकवार स्थिति Soft Copy में SLBC को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(कार्रवाई–संयुक्त निदेशक(यांत्रिकरण), बिहार, पटना)

9. राज्य में कृषकों की संख्या 1.61 करोड़ है जबकि के० सी० सी० खाताधारक कृषकों की संख्या 61 लाख है। सहायक महाप्रबंधक, एस० एल० बी० सी० द्वारा नए किसान क्रेडिट कार्ड आवेदन को सृजित करने में कृषि विभाग के क्षेत्रीय पदाधिकारी प्रखंड कृषि पदाधिकारी/किसान सलाहकार/कृषि समन्वयक को आवश्यक सहयोग हेतु कृषि उत्पादन आयुक्त से अनुरोध किया गया। कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा इस सम्बन्ध में पत्र निर्गत करने हेतु निदेश दिया गया।

(कार्रवाई–सांख्यिकी कोषांग, कृषि निदेशालय, बिहार)

10. एस० एल० बी० सी० की कृषि की उप समिति I तथा पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन की उप समिति II की संयुक्त बैठक जनवरी 2018 के तृतीय सप्ताह में आयोजित करने हेतु सहायक महाप्रबंधक, एस० एल० बी० सी० को तिथि एवं समय निर्धारित कर कृषि विभाग को सूचित करने का निदेश दिया गया।

(कार्रवाई–एस०एल०बी०सी०, पटना)

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्रवाई समाप्त की गई।

कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार।

ज्ञापांक : 7611 दिनांक : 28-12-2017

प्रतिलिपि : मुख्य महाप्रबंधक, नबार्ड, मौर्यालोक कॉम्पलेक्स, पटना/मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, पटना/ सहायक महाप्रबंधक, एस० एल० बी० सी०, संयोजक भारतीय स्टेट बैंक, पश्चिमी गाँधी मैदान, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार।

ज्ञापांक : 7611 दिनांक : 28-12-2017

प्रतिलिपि : प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य सहकारिता बैंक लि०, अशोक राजपथ, पटना/उप निदेशक, बैंकिंग, वित्त (सांस्थिक वित्त) विभाग, ललित भवन, बेली रोड, पटना/संयुक्त निदेशक(अभियंत्रण), बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक(सां०), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार।

ज्ञापांक : 7611 दिनांक : 28-12-2017

प्रतिलिपि : कृषि निदेशक, बिहार, पटना/संयुक्त सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार।